उत्तर गुजरात एस.आर.वी. संघ लिमिटेड

बनाम

मैसर्स मेहसाना जिला Cent. सहकारी बैंक लिमिटेड एवं अन्य

(सिविल अपील सं. 1892/2008)

11 मार्च, 2008

[डॉ. अरिजीत पासायत, सी. के. ठाकर और लोकेश्वर सिंह पांटा, जे. जे.]

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत-सुनवाई का अवसर अस्वीकार- प्रत्यर्थी संख्या 03 द्वारा निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त करने के उपरांत, अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या 01 को भुगतान करने से रोक दिया- तदुपरांत नामितों के न्यायालय ने डिक्री पारित करते हुये अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या 03 को राशि का भुगतान मय 18 प्रतिशत प्रति वर्ष अदायगी हेतु आदेशित किया- प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 द्वारा रिट याचिका पेश की गई जिनमें अपीलार्थी को पक्षकार बनाया गया। परन्तु नोटिस की तामील नही करवाई गई - रिट याचिका खारिज- समीक्षा प्रार्थना पत्र भी इस आधार पर खारिज किया गया कि अपीलार्थी के विरूद्ध कोई प्रतिकूल आदेश नही था- अपील में यह निर्धारित किया गया कि यद्यपि अपीलार्थी को रिट याचिका में पक्षकार बनाया गया था परन्तु प्रकरण का निस्तारण बिना अपीलार्थी को सुने कर दिया गया है- समीक्षा प्रार्थना पत्र में, उच्च न्यायालयों द्वारा पूर्णतः त्रुटिपूर्ण आधारों पर कार्यवाही की गई- चूंकि अपीलार्थी, बिना सुनवाई का अवसर दिये अथवा/अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये। उस पर अत्यधिक दायित्वों का भार डाल दिया गया, प्रकरण को नये सिरें से निस्तारण के लिये पुनः प्रेषित किया जाता है।

प्रत्यर्थी संख्या 3 से संबंधित कपास के कुछ गठ`ठरो को प्रत्यर्थी संख्या 1 के पास गिरवी रखा गया था। हालांकि, प्रत्यर्थी संख्या 3 ने उक्त सामग्री को प्रत्यर्थी संख्या

2 को ओटाई हेतु सुपुर्द कर दिया था। प्रत्यर्थी संख्या 2 में कपास की ओटाई के उपरांत उक्त सामाग्री को दबाने एवं गठठर बनाने हेतु सहकारी समिती को दे दिया जो इसके उपरांत अपीलार्थी को बाजार में विक्रय हेतु सुपुर्द कर दिया गया। तदुपरांत अपीलार्थी ने उक्त माल को प्रत्यर्थी संख्या1 से अनुमोदन प्राप्त् करने के उपरांत इस शर्त पर विक्रय कर दिया कि माल की विक्रय राशि प्रत्यर्थी संख्या 1 को अदा कर दी जायेगी।

तदुपरांत अपीलार्थी ने विक्रय राशि का एक अंश प्रत्यर्थी संख्या 1 को दे दिया। अपीलार्थी शेष राशि भी सुपुर्द करने वाला था। इस बीच प्रत्यर्थी संख्या 3 ने प्रत्यर्थी संख्या 2 एवं अपीलार्थी के विरूद्ध माल के बेचान राशि 77,786/- रूपये प्राप्त करने हेतु एक दावा न्यायालय, नामितों के बोर्ड के समक्ष पेश कर दिया। प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त कर लिया। जिसके द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या 1 को विक्रय राशि सुपुर्द किये जाने से रोक दिया। समान रूप से एक अन्य दावा प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा,अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 के विरूद्ध न्यायालय, नामितो के बोर्ड के समक्ष पेश किया गया। दोनो दावों का विचारण एक साथ किया गया।

एक समान आदेश के द्वारा, न्यायालय,नामितो के बोर्ड में आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी को उसके पास रखी शेष विक्रय राशि 77,786/- रूपये मय 18% प्रतिवर्ष ब्याज राशि प्रत्यर्थी संख्या 3 को दिये जाने हेतु आदेशित किया। इस प्रकार से अपीलार्थी पर, बिना स्वयं की गलती एवं किसी भी प्रत्यर्थी से स्वयं का कोई विवाद नहीं होने के बावजूद, अत्यधिक ब्याज राशि का भार डाल दिया गया है जबकि अपीलार्थी द्वारा विक्रय राशि को न्यायालय के आदेश की पालना में ही स्वयं के पास रखा था।

प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं पेश की गयी। उक्त रिट याचिकाओ में, अपीलार्थी को पक्षकार बनाया गया था परंतु अपीलार्थी पर नोटिस की तामील नहीं करवाई गयी थी एवं परिणामस्वरूप रिट याचिकाओ की सुनवाई के समय अपीलार्थी उपस्थित नही हो सका था। दोनों रिट याचिकाओ को सुनवाई के पश्चात खारिज कर दिया गया।

अपीलार्थी द्वारा समीक्षा प्रार्थना पत्र पेश किया जो इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलार्थी के विरूद्ध कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया था। इसलिए वर्तमान अपील पेश की गयी।

न्यायालय द्वारा, अपील स्वीकार की गयी एवं प्रकरण को उच्च न्यायालय को पुनः प्रेषित किया गया।

अधिनिर्णितः

न्यायालय, नामितो के बोर्ड के निषेद्याज्ञा आदेश के अनुसार अपीलार्थी को विक्रय राशि प्रत्यर्थी संख्या 1 को देने अथवा दिलवाये जाने से बाधित कर दिया। हालांकि अपीलार्थी विशेष सिविल आवेदन में एक पक्षकार था, परंतु प्रकरण अपीलार्थी को सुने बिना निस्तारित कर दिया गया। समीक्षा याचिका में उच्च् न्यायालय द्वारा पूर्णतः त्रुटिपूर्ण आधारों पर कार्यवाही की है। अंतिम परिणाम यह रहा कि अपीलार्थी को, बिना सुनवाई का अवसर दिये और या अपना पक्ष रखे जाने का अवसर दिये बिना दायित्वों के भार के अधीन डाल दिया। [पैरा 9] [765-एफ,जी,एच; 766-ए]

सिविल अपीलीय अधिकारिताः सिविल अपील संख्या 1892/2008

गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के विविध सिविल आवेदन (स्टाम्प संख्या) 2005 की 231 मे दिनांक 13-05-2005 मे पारित अंतिम निर्णय व आदेश से

महेन्द्र आनंद, राजन नारायण, अपीलार्थी की ओर से।

सरला चंद्रा, प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा पारित किया गया है

डॉ. अरिजीत पसायत, जे.

1. अनुमति दी गयी।

2. इस अपील में गुजरात उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विशेष सिविल आवेदन संख्या 5660 ऑफ 1998 एवं विविध सिविल आवेदन संख्या 231 ऑफ 2005 में पारित आदेश को चुनौती दी गयी।

3. प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है किः

प्रत्यर्थी संख्या 3 से संबंधित कुछ कपास के गठठरो को प्रत्यर्थी संख्या 1 के पास गिरवी रखा गया था। परंतु, प्रत्यर्थी संख्या 3 ने उक्त माल को ओटाई के लिए प्रत्यर्थी संख्या 2 को सुपुर्द कर दिया। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने कपास की ओटाई कर दी परंतु उनके पास दबाने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी इसलिए उक्त माल अशोक नगर सहकारी समिति को दे दिये गये। अशोक नगर सहकारी समिति ने कपास को दबाने एवं गठठर बनाने के उपरांत अपीलार्थी को विक्रय करने के लिए सुपुर्द कर दिया।

उक्त माल को अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 1 से अनुमोदन प्राप्त् करने के उपरांत इस शर्त पर विक्रय कर दिया कि विक्रय राशि प्रत्यर्थी संख्या 1 को सुपुर्द कर दी जायेगी। तदुपरांत अपीलार्थी ने विक्रय राशि का एक अंश प्रत्यर्थी संख्या 1 को सुपुर्द कर दिया एवं शेष राशि भी अपीलार्थी सुपुर्द करने ही वाला था।

इस बीच प्रत्यर्थी संख्या 3 ने न्यायालय, नामितो के बोर्ड, महसाना के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 2 एवं वर्तमान अपीलार्थी के विरूद्ध माल के बेचान से प्राप्त् हुई विक्रय राशि 77,786/- रूपये प्राप्त् करने हेतु सिविल दावा संख्या 1808/1990 पेश किया। उक्त दावे में, प्रत्यर्थी संख्या 3 ने अपीलार्थी के विरूद्ध निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त् कर लिया

जिससे अपीलार्थी को उक्त राशि प्रत्यर्थी संख्या 1 को सुपुर्द किये जाने से रोक दिया गया। समान रूप से प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा भी अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 के विरूद्ध न्यायालय, नामितो के बोर्ड, महसाना के समक्ष सिविल वाद संख्या 1809/1990 पेश किया। दोनों दावो की सुनवाई एक साथ की गयी।

इस प्रकार से अपीलार्थी के पास राशि उपलब्ध होने के बावजूद एवं अपीलार्थी के राशि प्रत्यर्थी संख्या 1 को देने को तैयार होने के बावजूद उक्त् राशि देने से प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध प्राप्त् निषेधाज्ञा के आदेश के जरिये रोक दिया गया। अपीलार्थी के अनुसार उसकी प्रत्यर्थी संख्या 3 के साथ कोई अनुबंध की निजता नही होना अंकित की है। माल को अशोक नगर सहकारी समिति द्वारा अपीलार्थी को सुपुर्द किया गया था। ऐसे में, अपीलार्थी का प्रत्यर्थी संख्या 2 अथवा 3 से कोई संबंध नहीं है। परिणामस्वरूप, दोनों ही दावों में, अपीलार्थी उपस्थित नहीं रहा था।

दोनों दावो को समान आदेश दिनांकित 18-07-1994 को डिक्री कर दिया गया था। एवं अपीलार्थी को 77,786/- रूपये की राशि जो उसके पास थी मय 18% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से प्रत्यर्थी संख्या 3 को दिये जाने हेतु आदेशित किया गया। इस प्रकार से अपीलार्थी पर, जो न्यायालय के निर्देशानुसार उक्त राशि के कब्जे में था, को बिना स्वयं की गलती एवं किसी भी प्रत्यर्थी से कोई विवाद नहीं होने के बावजूद अत्यधिक ब्याज राशि का भार डाल दिया गया।

न्यायालय, नामितो का बोर्ड के उक्त आदेश को सहकारी ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील संख्या 243/94 एवं 216/94 के जरिये चुनौती दी गयी। उक्त दोनों अपीलों को सहकारी ट्रिब्यूनल में अपने आदेश दिनांकित 31-05-1998 के जरिये खारिज कर दिया एवं न्यायालय, नामितो के बोर्ड के आदेश की पुष्टि कर दी गयी। सहकारी ट्रिब्यूनल के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा रिट याचिकाएं गुजरात उच्च

न्यायालय के समक्ष पेश की। उक्त रिट याचिकाओ में अपीलार्थी को पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया था परंतु अपीलार्थी पर नोटिस की तामील नहीं करवाई गयी एवं परिणामस्वरूप अपीलार्थी उक्त् रिट याचिकाओ में सुनवाई के समय उपस्थित नहीं रह सका था। दोनों रिट याचिकाए सुनी गयी एवं गुजरात उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने आदेश दिनांकित 02-12-2004 के जरिये खारिज कर दी गयी।

तदुपरांत अपीलार्थी ने गुजरात उच्च् न्यायालय के समक्ष एक समीक्षा याचिका, विविध सिविल आवेदन (स्टाम्प संख्या 231/2005) पेश की एवं यह आधार लिया की अपीलार्थी पर नोटिस की तामील नहीं करवाई गयी एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। उक्त समीक्षा आवेदन वर्तमान विवादित आदेश दिनांकित 13-05-2005 के जरिये इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलार्थी के विरूद्ध कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया।

उक्त समीक्षा आवेदन खारिज होने के उपरांत प्रत्यर्थी संख्या 3 ने लघु कारण न्यायालय, अहमदाबाद के समक्ष जरिये दरख्वास्त संख्या 378/2005 के जरिये निष्पादन की कार्यवाही हेतु आवेदन पेश किया एवं अपीलार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय अनुऋणी आदेश प्राप्त कर लिया। अपीलार्थी के प्रत्यर्थी संख्या 1 के बैंक में मौजूद अकाउंट को जप्त कर लिया गया है।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान निवेदन किया कि उच्च न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्ण आधार पर कार्यवाही की गयी। विशेष सिविल आवेदन में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या 2 के रूप में पक्षकार बनाया गया था परंतु नोटिस जारी नहीं किया गया था।

5. आदेश के मद संख्या 4 में निम्नानुसार प्रेक्षित किया गयाः

"मेरे द्वारा उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओ को सुना गया एवं पत्रावली पर मौजूद सुसंगत दस्तावेजों का परिशीलन किया गया। न्यायालय, नामितों के बोर्ड ने, उभयपक्षकारों के अधिवक्ताओ को सुनने के पश्चात, डिक्री पारित की जिसके द्वारा 77,786/- रूपये की राशि प्रतिवादी संख्या 2 से वसूले जाने हेतु आदेशित किया था एवं नीचे के आदेश ई एक्स एच 6 की पुष्टि कर दी गयी थी। ट्रिब्यूनल द्वारा उचित प्रकार से न्यायालय, नामितो के बोर्ड के आदेश की पुष्टि की है, जो कि आदेश की मद संख्या 12 में किये गये विवेचन से भी स्पष्ट होता है। मेरे द्वारा न्यायालय नामितो के बोर्ड एवं ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों में कोई त्रुटि होना नहीं पाया गया है, चुंकि दोनो ही आदेश उचित एवं न्याय संगत है एवं न्यायालय इस याचिका में उक्त आदेशों में हस्तक्षेप करना युक्तियक्त नहीं पाता है। अतः याचिकाएं खारिज किये जाने योग्य प्रतीत होती है।"

6. सहकारी समितियों के नामितो के बोर्ड,अहमदाबाद, ने वाद संख्या एलवीडी/2629/82.93292 दिनांकित 15-10-1982 में निम्न निर्देश दिएः

"इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 1 को शेष बची हुयी राशि 77,786.82/- रूपये जो कि कुल मुल्य में से 60,604.76/- रूपये की राशि की कटौती करने के बाद बचते है एवं जो प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी से वसूल किये जाने है, को वसूलने से बाधित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 2 को भी उक्त राशि प्रतिवादी संख्या 1 को देने अथवा दिलवाये जाने से बाधित किया जाता है एवं उक्त अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश प्रतिवादी संख्या 1व 2 के विरूद्ध पारित किये गये है।"

7. पुनरीक्षण याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार से विख्यात किया गया जैसे अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 से राशि प्राप्त करनी थी। प्रत्यर्थीगण का प्रकरण इसके पूर्णरूप से विपरित था।

8. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा बावजूद नोटिस उपस्थिति नहीं दी।

9. यह तथ्य आवश्यक है कि न्यायालय नामितों के बोर्ड, अहमदाबाद संवर्ग के निषेधाज्ञा के आदेश, जो कि उद्वत किया गया है, के उपरांत प्रतिवादी सं. 02 अर्थात वर्तमान अपीलार्थी को राशि प्रतिवादी संख्या 1 को देने या दिलवाये जाने से बाधित कर दिया गया था। हालांकि अपीलार्थी विशेष सिविल आवेदन में एक पक्षकार अर्थात प्रतिवादी संख्या 2 था, प्रकरण को बिना अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये निस्तारित कर दिया गया था परीक्षा आवेदन में विद्वान एकल न्यायाधीश उच्च न्यायालय द्वारा पूर्णतः त्रुटिपूर्ण आधार पर कार्यवाही की गई।

ऐसे में अंतिम निष्कर्ष यह था कि, अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये और या अपना पक्ष रखने का अवसर दिये अपीलार्थी पर दायित्व का भार डाल दिया गया।

10. अतः हम, उक्त विवादित आदेश को अपास्त करते हैं एवं प्रकरण को उच्च न्यायालय में विधि अनुसार नये सिरे से निस्तारण हेतु पुनः प्रेषित करते हैं।

11. अपील बिना किसी कास्ट के आदेश के स्वीकार की जाती है।

अपील स्वीकार की गई

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अभिमन्यु सिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।